भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **2384**
दिनांक 5 मार्च , 2020 / 15 माघ, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन का पंजीकरण

2384. **श्री सुधीर गुप्ता:**
श्री भगवंत खुबा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री बृजेन्द्र सिंह:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री गजानन कीर्तिकर:
डॉ. (प्रो°) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश मे मौजूद ड्रोन की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा/संख्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ड्रोन के स्वामित्व और उपयोग के बारे में कोई विनियमन जारी किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सभी ड्रोन मालिकों को अपने ड्रोन पंजीकृत कराने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा उन ड्रोन स्वामियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/कार्रवाई की जा रही है जो सरकार से सख्त चेतावनी के बावजूद अपने ड्रोन को पंजीकृत करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का गणना में पाए गए ड्रोन की निगरानी का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी, हां। डिजीटल स्काई पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार 14.1.2020 से 31.1.2020 के दौरान सूचीबद्ध किए गए सिविल ड्रोनों की वर्गवार संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ग	संख्या
नैनो	1832
सूक्ष्म	13735
लघु	2808
मध्यम	140
बड़े	1038
योग	19553

(ख): जी, हां। वायुयान नियमावली, 1937 में नियम 15क का समावेश किया गया है तथा नागर विमानन

महानिदेशालय द्वारा ड्रोनों के विनियमन के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं (CAR),खंड 3, विमान परिवहन, श्रृंखला X, भाग I जारी की गई हैं।

(ग): सिविल ड्रोनों तथा ड्रोन प्रचालकों की पहचान को सुगम बनाने को विचार में लेकर दिनांक 13.1.2020 को जारी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से ड्रोन प्रचालकों और सिविल ड्रोनों के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के लिए एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया था। इससे संबंधित विवरण डिजीटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से दिनांक 31.1.2020 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। सूचीबद्ध ड्रोनों से संबंधित विवरण इस उत्तर के भाग (क) में दिया गया है।

(घ): नागर विमानन अपेक्षाओं के किसी प्रावधान का उल्लंघन, तथा रिकार्डों / दस्तावेजों से संबंधित मिथ्याकथन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता (IPC) अथवा वायुयान अधिनियम, 1934 अथवा वायुयान नियमावली, 1937 की लागू धाराओं के अनुसार शास्ति लगाए जाने सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(ङ): सर्वेक्षण का उद्देश्य, सूचना एकत्र करना था। किसी भी प्रकार के प्रचालन के लिए ड्रोन द्वारा विधिवत निर्धारित मॉनीटरिंग व्यवस्था से युक्त नागर विमानन महानिदेशालय की ऊपर उल्लिखित अनुमोदित नागर विमानन अपेक्षाओं के अंतर्गत के यूआईएन (UIN) के लिए आवेदन किया जाना आवश्यक है।

*****